प्रैस विज्ञप्ति

दिनांक 23.01.2020

स्वाट टीम व थाना खुर्जादेहात पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही कर 02 मादक पदार्थ तस्कर 22 किग्रा मादक पदार्थ (गांजा, कीमत करीब 2.50 लाख) एवं अवैध चाकू सहित गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर श्री संतोष कुमार सिंह के निर्देशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक अपराध श्री शिवराम यादव एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री हरेन्द्र कुमार के कुशल निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी खुर्जा के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 11.10.2020 को स्वाट टीम एवं थाना खुर्जा देहात पुलिस क्षेत्र में अपराधियों की धरपकड़ एवं संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चैकिंग में मामूर थी कि मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि दो मादक पदार्थ तस्कर चितौला पुल के नीचें कहीं जाने की फिराक में खडे है जिनके पास भारी मात्रा में प्लास्टिक के बोरे में मादक पदार्थ(गांजा) है। इस सूचना को गम्भीरता से लेते हुए दोनों पुलिस टीम संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान चितौला पुल के नीचे पहुंचकर घेराबन्दी कर समय करीब प्रातः 09.45 बजे दोनों अभियुक्तों को 22 किग्रा मादक पदार्थ गांजा (कीमत करीब 2.50 लाख) व 02 अवैध चाकू सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1- रहीश पुत्र बाबू निवासी मौ0 फैसलाबाद नूर मस्जिद के पास थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।

2- अनवार पुत्र इरशाद निवासी मौ फैसलाबाद थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी-

1- 22 किग्रा मादक पदार्थ गांजा (कीमत करीब 2.50 लाख)

2- 02 नाजायज चाकू।

गिरफ्तार अभियुक्तगण शातिर किस्म के मादक पदार्थ तस्कर है, जो बिहार राज्य से मादक पदार्थ (गांजा) की तस्करी कर आस-पास क्षेत्रों में बेचकर आर्थिक लाभ प्राप्त किया जाता है। अभियुक्तो की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध मे थाना खुर्जादेहत पर मुअसं-252/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट व मुअसं-253 व 254/20 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तो को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

स्वाट टीम-

1- श्री सुधीर कुमार त्यागी प्रभारी स्वाट (क्राईम बांच)

2- उ0नि0 अजय दीप

3- का0 हरेन्द्र सिंह, का0 अभिषेक कुमार, का0 प्रबली तौमर

थाना पहासू पुलिस टीम-

1- श्री आनन्दबीर मलिक थानाप्रभारी खुर्जादेहात

2- उ0नि0 सुमित कुमार

3- का0 वीरेन्द्र कुमार, का0 हेमन्त कुमार, का0 रविन्द्र प्रताप सिंह।